

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने जो मुख्यांकित किया

इस अध्याय में हमने ₹ 15.65 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किए हैं जो खनिज संसाधन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाये गए प्रेक्षणों जो रायल्टी की कम वसूली, रायल्टी की गलत दर अपनाने तथा पट्टेदार से अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की अवसूली से संबंधित है।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

यद्यपि वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से 1.46 प्रतिशत कम थी, परन्तु 2008-09, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में यह क्रमशः 4.87 प्रतिशत, 14.90 प्रतिशत, 1.66 प्रतिशत, तथा 1.07 प्रतिशत वृद्धि हुई।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लक्ष्य न प्राप्त किया जाना।

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग द्वारा 13 इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु योजना बनाई थी तथा सिर्फ 10 इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

लेखा परीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2012-13 में खनिज साधन विभाग से संबंधित चार इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की एवं 204 प्रंकरणों में ₹ 8.39 करोड़ के रायल्टी एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क के कम आरोपण एवं वसूली, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज के कम आरोपण/अनारोपण पाया।

विभाग ने 133 प्रकरणों से ₹ 6.75 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार किया। विभाग ने दो प्रकरणों में ₹ 7.48 लाख भी वसूली कर ली थी।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को अपने आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों को भविष्य में टाला जा सके।

हमारे द्वारा इंगित किये गये रायल्टी की अवसूली, रायल्टी के कम निर्धारण इत्यादि को वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए विशेष रूप से उन प्रकरणों में, जिनमें हमारी आपत्तियों को मान्य किया गया है।

भाग अ : अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग

7.1 कर प्रशासन

छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनिज¹ संपदा राज्यों में से एक है। प्रदेश लौह अयस्क, कोयला, हीरा, चूना पत्थर, बाक्साईट, सोना, डोलोमाइट, टिन अयस्क, फायर क्ले के वृहद भण्डारों से संपन्न है। इन सभी खनिजों का राज्यांश एवं किराया खनिज संपदा से राजस्व का मुख्य स्रोत है। खनिजों का दोहन एवं विकास हेतु राज्य में संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म (डी.जी.एम) द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जिससे की राज्य में खनिजों पर आधारित उद्योगों को उसके उत्पादन क्षमता के अनुसार खनिजों की प्राप्ति हो सके। खनिजों का खनन निजी तथा सरकारी क्षेत्रों उपक्रम तथा पट्टेदारों द्वारा किया जाता है। खनिज साधन विभाग की प्रशासन में आवेदन शुल्क की प्रक्रिया कर निर्धारण, राजस्व की वसूली, अवैध उत्खनन और राजस्व के क्षरण की रोकथाम के लिए अन्य गतिविधियाँ हैं।

अधिनियम नियम व परिपत्र जिनसे राज्यांश का निर्धारण व वसूली शासित है वे निम्नवत हैं :

- खान व खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम), 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988;
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 एवं
- समय समय पर जारी आदेश, परिपत्र एवं निर्देश।

शासन स्तर पर, सचिव, खनिज साधन विभाग एवं संचालनालय स्तर पर आयुक्त सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (स.भौ.ख.) संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। वे एक उप संचालक, खनि प्रशासन आठ जिला खनि अधिकारी एवं 16 सहायक खनि अधिकारीयों से सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 25 खनि निरीक्षक अपने नियंत्रण क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन और राजस्व के रिसाव से संबंधित अन्य गतिविधियों की रोकथाम के अलावा राजस्व के निर्धारण और संग्रहण हेतु उत्तरदायी हैं। स.भौ.ख. के नियंत्रण में एक उड़न दस्ता कार्यरत है।

7.2 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-2009 से 2012-13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से वास्तविक प्राप्तयाँ, राज्य शासन की कुल कर भिन्न प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

¹ खनिजों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्य खनिज जो पुनः हाइड्रोकार्बन या उर्जा खनिज (जैसा कोयला, लिग्नाईट इत्यादि) आण्विक खनिज तथा धात्तिक एवं अधात्तिक खनिजों एवं गौण खनिजों जिनमें भवन निर्माण पत्थर, फर्शी पत्थर, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और अन्य खनिज जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तिया	अन्तर आधिक्य (+)/कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तिया	कुल कर भिन्न प्राप्तियों में खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	1,185.50	1,243.24	(+) 57.74	(+) 4.87	2,202.21	56.45
2009-10	1,685.40	1,660.87	(-) 24.53	(-) 1.46	3,043.00	54.58
2010-11	2,150.00	2,470.44	(+) 320.44	(+) 14.90	3,835.32	64.41
2011-12	2,700.00	2,744.82	(+) 44.82	(+) 1.66	4,058.48	67.63
2012-13	3,105.00	3,138.18	(+) 33.18	(+) 1.07	4,615.95	67.99

(स्रोत: वित्त लेखे छत्तीसगढ़ शासन)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों का योगदान विगत पांच वर्षों में राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियों में 54.58 और 67.99 प्रतिशत के मध्य था। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से 1.46 प्रतिशत कम थी जबकि वर्ष 2008-2009, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 4.87 प्रतिशत, 14.90 प्रतिशत तथा 1.07 प्रतिशत बजट अनुमान से अधिक वृद्धि हुई थी। विभाग द्वारा प्रस्ताव के अनुसार वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹ 3,105 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था। वर्ष के दौरान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां ₹ 3,138.18 करोड़ थी, जो कि स्वीकृत बजट प्रावधान से 1.07 प्रतिशत अधिक थी।

पिछले वर्ष 2011-12 से रायल्टी प्राप्तियों में वृद्धि का कारण विभाग द्वारा कोयले के राज्यांश दर में मई 2012 से वृद्धि प्रतिवेदित किया गया।

7.3 राजस्व बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया ₹ 1.45 करोड़ थी जिसमें से ₹ 1.36 करोड़ पिछले पांच वर्ष से अधिक की बकाया राशि है। निम्नांकित तालिका अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति दर्शाती है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष में बढ़ोतारी		वर्ष में संग्रहित राशि		अंतिम शेष
		चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	
2008-09	1.76	0.14	निरंक	0.21	निरंक	1.69
2009-10	1.69	0.64	निरंक	0.23	निरंक	2.10
2010-11	2.10	0.17	निरंक	0.48	निरंक	1.79
2011-12	1.79	0.02	निरंक	0.17	निरंक	1.64
2012-13	1.64	0.00	निरंक	0.17	निरंक	1.45

(स्रोत: खनिज साधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े)

विभाग बकाया राजस्व ₹ 1.45 करोड़ में से ₹ 1.34 करोड़ राशि का विभाजन दे पाया जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ लाख में)

क्रं.सं.	बकाया का प्रकार	बकाया राजस्व
1	प्रकरण जो शासन/न्यायालय में लंबित है	26.89
2	लिक्विडेट हो चुकी कंपनियों द्वारा चूक	1.31
3	बकायादार जिनके ठिकाने ज्ञात नहीं हैं	23.43
4	राज्य के अंदर चूककर्ता को जारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र	12.08
5	बकाया वसूली प्रगति पर है	70.45
	योग	134.16

विभाग द्वारा शेष बकाया राशि ₹ 11 लाख की जानकारी प्रदाय नहीं की गई।

शासन को चाहिए कि वह बकाया राशि की त्वरित वसूली हेतु उचित उपाय करें तथा इसकी शीघ्र वसूली हेतु-समय सीमा तैयार करें।

7.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा किसी संगठन को इसके विहित तंत्र के पालन की कोटि सुनिश्चित करता है। हमने देखा कि वर्ष 2012-13 में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ में एक संयुक्त संचालक एवं तीन लेखापरीक्षक के पद स्वीकृत हैं परंतु विभाग में मात्र एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा 13 ईकाईयों को आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था तथा सिर्फ 10 ईकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये।

पुनः आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में देखा गया कि ली गई आपत्ति मजदूरों को अनियमित भुगतान, अस्थायी अग्रिम का समायोजन न होना, पंजियों का रखरखाव न होना, रोकड़ बही का अनुचित रखरखाव, बकाया राजस्व इत्यादि पर आपत्ति ली गई है।

प्रमुख आपत्ति जैसे राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग अधिक श्रमशक्ति की तैनाती करे ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से हो सके।

7.5 लेखापरीक्षा के प्रभाव

7.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा रायल्टी, अनिवार्य भाटक, ब्याज के अना/कम आरोपण/संग्रहण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम निर्धारण के प्रकरण जिनमें राजस्व ₹ 301.08 करोड़, सन्निहत था, इंगित किये गये थे। इनमें से विभाग ने ₹ 124.68 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 76.90 करोड़ की वसूली मार्च 2013 तक हो चुकी थी जो निम्न तालिका में दर्शायी गई है:-

(₹ करोड़ में)

कं. सं.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल आक्षेपित राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2013 तक की गई वसूली
1.	2007-08	4.56	4.36	1.08
2.	2008-09	0.47	0.47	0.29
3.	2009-10	1.51	1.51	1.49
4.	2010-11	294.54	118.34	74.04
5.	2011-12	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	301.08	124.68	76.90

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 तक विभाग द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों में से 62 प्रतिशत राशि वसूली की गई।

7.5.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के पालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों से राज्यांश, अनिवार्य भाटक के अनारोपण/कमआरोपण, राज्यांश, अनिवार्य भाटक के कम वसूली, ब्याज, शस्ति के अनारोपण से राजस्व हानि, आदि के राशि ₹ 492.39 करोड़ के 4,841 प्रकरणों की इंगित किया जिसमें से विभाग/शासन ने 1,690 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 120.90 करोड़ को स्वीकार किया और ₹ 27.75 करोड़ राशि 125 प्रकरणों में वसूल की।

विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		मार्च 2013 तक वसूल की गई राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2007-08	13	640	68.09	470	56.62	7	0.47
2008-09	12	764	20.09	473	1.45	5	0.18
2009-10	7	396	4.64	335	4.83	46	4.83
2010-11	9	302	23.71	149	6.14	61	0.06
2011-12	12	2,739	375.86	263	51.86	6	22.21
योग	53	4,841	492.39	1,690	120.90	125	27.75

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत प्रकरणों में राजस्व की वसूली 23 प्रतिशत थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे।

7.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदन के पालन की स्थिति (2012-13):

हमने भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के 16 ईकाईयों में से चार² ईकाईयों जिनकी कुल राजस्व राशि ₹ 1,033.44 करोड़ थी के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 में नमूना जांच की तथा खनिपट्टा धारकों पर राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/वसूली, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण तथा अन्य अनियमितताओं के राशि ₹ 8.39 करोड़ के 204 प्रकरण इंगित किए गए, जिन्हे निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(₹ लाख में)			
सं.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण	29	776.05
2.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपन/वसूली	1	0.06
3.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/कम आरोपन	39	16.49
4.	अन्य अनियमितताएं	135	46.00
योग		204	838.60

वर्ष के दौरान विभाग ने 133 प्रकरणों में ₹ 6.75 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार किया तथा दो प्रकरणों में ₹ 7.48 लाख वसूल किया।

दृष्टातंस्वरूप ₹ 15.65 लाख के कुछ प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

7.6 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमने खनिज साधन विभाग के सायल्टी निर्धारण प्रकरणों की जांच की और सायल्टी की कम वसूली, अनिवार्य भाटक व ब्याज के अनारोपण के कई प्रकरण प्रकाश में आए जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित हैं। यह उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं लेखापरीक्षा के नमूना जांच पर आधारित है। उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा की गई इस प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा में प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती हैं लेकن ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है, शासन को आवश्यकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जाये ताकि इस तरह की त्रुटियों का पता चल सके और उन्हे सुधारा जा सके।

² अम्बिकापुर, जशपुर, कांकेर एवं कोरबा

7.7 राज्यांश की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए/उपभोग किए गए खनिज पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान का उत्तरदायी है। कोयला मंत्रालय की अधिसूचना 1 अगस्त 2007 के अनुसार, रायल्टी की दर निश्चित एवं एड् वेलोर दर का योग होगा। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2011, के अनुसार अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक रानीआटारी क्षेत्र में आर ओ एम 'बी' ग्रेड कोयले पर न्यूनतम ₹329.50 प्रति टन से राज्यांश देय है एवं स्टीम बी ग्रेड कोयला जो बांकी क्षेत्र में है ₹318.5 प्रति टन से राज्यांश देय है। जनवरी 2012 से ₹298.50 प्रति टन राज्यांश देय है। सचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के आदेश (अप्रैल 2006) के अनुसार राज्यांश का निर्धारण प्रत्येक छः माह में किया जायेगा।

कोरबा एवं कोरिया रीवा कोल्फील्ड क्षेत्र से पट्टेदार पर आरोपनीय था। इसके विरुद्ध एस.ई.सी.एल द्वारा क्रमशः ₹ 2.11 करोड़ एवं ₹ 32.77 लाख राज्यांश जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्यांश ₹ 13.06 लाख का कम आरोपण हुआ। (**परिशिष्ट- 7.1**)। यदि उपसंचालक खनि प्रशासन द्वारा छ माह में राज्यांश का निर्धारण किया गया होता तो उपरोक्त त्रुटि से बचा जा सकता था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (अक्टूबर 2012) पर शासन द्वारा स्पष्ट (सितम्बर 2013) किया गया कि, कोरिया रीवा कोल्फील्ड क्षेत्र से प्रेषित कोयले पर ₹ 8.09 लाख की मांग जारी की जा चुकी है। बांकी कालरी के सम्बंध में स्पष्ट किया गया कि कुछ अवसरों पर रायल्टी का कम भुगतान पाया गया है तथा ₹ 7.34 लाख की मांग जारी की गई है।

उप संचालक खनि प्रशासन कोरबा को साउथ इस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की जांच में हमने देखा (अक्टूबर 2012) कि पट्टेदार³ साउथ इस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल) ने 68274.96 मै. टन-स्टीम बी ग्रेड कोयला⁴ अप्रैल 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य कोरबा कोल्फील्ड⁵ से एवं 12400.12 मैं टन आर.ओ.एम बी ग्रेड कोयला फरवरी 2011 एवं मई 2011 के मध्य कोरिया रीवा⁶ कोल्फील्ड्स से प्रेषित किया। अधिसूचना के अनुसार राज्यांश राशि ₹ 2.16 करोड़ एवं ₹ 40.86 लाख क्रमशः

³ मै. साउथ इस्टन कोल्फील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल)

⁴ उपयोगी उष्मीय ऊर्जा 5600 किलो कैलोरी प्रति किलो ग्राम से अधिक किन्तु 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं

⁵ बांकी कॉलरी

⁶ रानी आटारी कॉलरी

7.8 अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की अवसूली

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली, के नियम 30(1) 'अ' एवं 'घ' के अनुसार पट्टेदार पट्टे के प्रथम वर्ष के सिवाय प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसूची-IV में वर्णित दर से वार्षिक अनिवार्य भाटक का भुगतान अग्रिम में प्रथम माह की 20 तारीख या उसके पूर्व करेगा। यदि पट्टेदार अनिवार्य भाटक का समयावधि में भुगतान करने में असफल रहता है तो वह विलम्बित अवधि के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज भुगतान के लिए दायी होगा।

गया और न ही उसपर ब्याज ₹ 1.03 लाख की मांग सूचना जारी की गई। जिला खनि अधिकारी की तरफ से खदानों के अकार्यशील होने को मॉनीटर न कर पाने तथा अनिवार्य भाटक की वसूली में विफल रहने से राजस्व ₹ 2.59 लाख (परिशिष्ट 7.2 में दर्शाए अनुसार) की अवसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा (सितम्बर 2013) स्पष्ट किया गया कि ₹ 1.48 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि के वसूली हेतु प्रक्रिया जारी है।

जिला खनि अधिकारी जशपुर के खतोनी एवं पट्टे के नस्तियों की नमूना जांच (अक्टूबर 2012) में हमने पाया कि छ पट्टेदारों ने वर्ष जनवरी 2007 से दिसम्बर 2012 के मध्य ₹ 1.56 लाख का अनिवार्य भाटक का भुगतान नहीं किया। जिला खनि अधिकारी द्वारा भी न तो अनिवार्य भाटक ₹ 1.56 लाख का आरोपण किया

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है

इस अध्याय में, हमने वन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा दौरान पायी गयी ₹ 1.18 लाख के वनोपज का अवसूली के एक उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किया है।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

हमने वर्ष 2012-13 में वन विभाग की 11 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की एवं बांस/काष्ठ के विदेहन न करने, वनोपज की कमी वजह से राजस्व की अवसूली एवं कमवसूली पायी गयी, काष्ठ का कम उत्पादन इत्यादि के 142 प्रकरण में ₹ 16.48 करोड़ का राजस्व हानी पायी गयी। वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा चार प्रकरणों में ₹ 50.11 लाख राजस्व हानी मानी गयी किन्तु कोइ भी राशि का वसूली नहीं हुआ है।

निष्कर्ष

विभाग को आवश्यकता है की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने के साथ साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को भी मजबूत करे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

अनुछेद- खः

वानिकी एवं वन्यजीव (राजस्व)

7.9 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्यता: कार्स्ट, जलाऊ लकड़ी, वांस एवं लधु वनोपज के विक्रय से राजस्व अर्जित करता है, जो कि शासन के मुख्य राजस्व स्रोत है। वनोपज का निवर्तन निलामी, निविदा आमंत्रण आदि के माध्यम से होता है वनों कि सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, कार्स्ट का विदोहन एवं वनों कि स्थायी वृद्धि विभाग में व्यय के विभिन्न मद है।

वन विभाग, मुख्य सचिव (वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्र.मु.व.स.) का कार्यालय विभाग के पूर्णस्ल्येण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर प्र.मु.व.सं. के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. रहते हैं।

राज्य का वन क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर एवं दुर्ग में स्थित छः वन संरक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। राज्य का वन क्षेत्र 32 वनमंडलों में विभाजित है। वनमंडलों के प्रशासन, वनोपज के विक्रय, राजस्व संग्रहण के साथ साथ वनों कि सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, स्थायी वृद्धि तथा कार्स्ट विदोहन का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) का है। व.म.अ. की सहायता हेतु वनमंडल में उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.म.अ.) रहते हैं। वनों की सुरक्षा के अतिरिक्त, वनक्षेत्रपाल रोपण कार्य, वृक्षों के अंकन एवं विदोहन, कार्स्ट एवं जलाऊ लकड़ी के कूप⁷ से कारस्टागारों में परिवहन आदि हेतु उत्तरदायी है। कार्य आयोजना वृत (बिलासपुर) एवं वनमंडलों का उत्तरदायित्व कार्य आयोजनाओं को समयसीमा के अंतर्गत तैयार करना है। विभाग निम्न अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों का पालन करता है :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत वने नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत वने नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत वने नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना सहिता 2004;
- वन मैनुअल एवं
- राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण के संबंध में शासन/विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेश/दिशा निर्देश

⁷

कार्यआयोजन में वनक्षेत्र को भिन्न कार्य वृतों में विभक्त किया जाता है। कार्यवृतों को कक्षों में तथा कक्षों को कूपों में विभक्त किया जाता है।

7.10 वानिकी एवं वन्य जीवन से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य वन विभाग की वास्तविक प्राप्तियों एवं राज्य की कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित प्राप्तिन	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य (+) कमी (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	280.00	322.29	42.29	15.10	2,202.21	14.63
2009-10	365.00	345.85	(-) 19.15	(-) 5.25	3,043.00	11.36
2010-11	400.00	305.17	(-) 94.83	(-) 23.71	3,835.32	7.95
2011-12	400.00	341.64	(-) 58.36	(-) 14.59	4,058.48	8.42
2012-13	405.00	363.96	(-) 51.18	(-) 12.64	4,588.87	7.93

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है की 2008-09 के अलावा वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से कम थी एवं उपरोक्त वर्षों में कमी का प्रतिशत पाँच से 24 प्रतिशत के मध्य था। विभाग ने (अगस्त 2013) अपना उत्तर में 2012-13 का राजस्व लक्ष्य का उपलब्धि ना होना को क्षेत्र विशेष परिस्थितियों को श्रेय दिया गया। इसीप्रकार, वर्ष 2008-09 में राज्य के कर भिन्न राजस्व में वन प्राप्तियों का हिस्सा 14.63 प्रतिशत था एवं बाद के वर्षों में लगातार प्राप्तियों में कमी आई। केवल वर्ष 2011-12 में सामान्य प्रगति को छोड़कर।

7.11 बकाया राजस्व का विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2013 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 8.96 करोड़ थी, अवधि 2008-09 से 2012-13 के मध्य राजस्व बकाया की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	बकाया का अंत शेष
2008-09	0.30	0.45
2009-10	0.45	2.39
2010-11	2.39	2.45
2011-12	2.45	1.62
2012-13	1.62	8.96

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह दर्शाता है की वर्ष 2012-13 में बकाया राशि की बढ़त मनमाना राहा। उनमें से ₹ 7.67 करोड़ राज्य विभाजन से पहले से संबंधित है जिसको विभाग ने इसीवर्ष सूचित किया।

7.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अतिमहत्वपूर्ण अंग है जो की संगठन को स्वयमेव आशनस्त करता है कि निर्धारित पद्धतियों उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग कि आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई ने वर्ष 2012-13 में 12 इकाईयों कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमे 26 कंडिका एवं राशि ₹ 21.98 लाख समाहित थी इकाईयों को जारी की गयी।

7.13 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.13.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2009-10 से 2011-12) के पालन करने की स्थिति :

वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व की अनारोपण/कम आरोपण, वनोपजो की कमी इत्यादि जिसमें ₹ 102.81 करोड़ सम्मिलित थी के बारे में इंगित किया था। विभाग/शासन ने उनमें से प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 10.73 करोड़ समाहित था का स्वीकार किया है। निम्न तालिका में विस्तृत विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	आक्षेपित राशि	स्वीकृत राशि	असुलागया राशि	
			कंडीकायों की संख्या	राशि ₹ में
2009-10	87.19	9.02	3	0.05
2010-11	14.90	1.64	1	0.01
2011-12	0.72	0.07	-	-
योग	102.81	10.73	4	0.06

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया की विभाग द्वारा स्वीकृत राशि कुल आक्षेपित राशि का 9 से 11 प्रतिशत है उनमे से असुलागया राशि स्वीकृत राशि की तुलना में नगण्य है अतः विभाग को कम से कम स्वीकृत राशियों की वसूली में तत्परता दिखाना चाहिए था जिससे पिछले वर्षों का बकाया का निपटारा हो पाता।

7.13.2 लंबित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007-08 से 2011-12) के पालन करने की स्थिति :

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपजों का कम उत्पादन, राजस्व की हानी आदि के 1,979 प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 163.93 समाहित है, को इंगित किया था। इनमें से 1,342 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 31.89 करोड़ समाहित है, के लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/शासन ने स्वीकृत किया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आधेपित राशि		स्वीकृत राशि		असुलागया राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	01	5	5.17	5	5.17	निरंक	निरंक
2008-09	11	285	19.60	256	9.79	1	0.13
2009-10	11	1,002	95.29	998	15.58	1	9.00
2010-11	9	352	20.49	69	1.17	निरंक	निरंक
2011-12	12	335	23.38	14	0.18	निरंक	निरंक
योग		1,979	163.93	1,342	31.89	2	9.13

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया की स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली केवल 29 प्रतिशत रहा। विभाग को स्वीकृत प्रकरणों में वसूली को प्रगति देने के लिए समुचित उपाय अपनाना चाहिए था।

7.13.3 निरीक्षण प्रतिवेदन (2012-13) के पालन प्रतिवेदन की स्थिति :

हमने वर्ष 2012-13 में वन विभाग के 11 इकाईयों के अभिलेखों का नमूना जांच में पाया की 142 प्रकरणों में वनोपज की मूल्य हास/वनोपज की कमी, वनोपज की कम उत्पादन से राजस्व की अनारोपण/कम आरोपण, अपसेट प्राइज से कम मूल्य पर विक्रय से राजस्व की कम वसूली जिसमें से ₹ 16.48 करोड़ समाहित है निम्न तालिका में वर्णन किया गया है :

(₹ करोड़ में)

संक्र.	वर्ग	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अपसेट प्राइज से कम मूल्य पर विक्रय करने पर कम वसूली	24	0.57
2	वनोपज की मूल्य ह्वास/कमी वजह से वसूली ना होना	30	0.41
3	काष्ठ की कम उत्पादन वजह से राजस्व हानी	32	1.32
4	अन्य अनियमियतायें	56	14.18
योग		142	16.48

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने चार प्रकरण में राजस्व हानि की ₹ 50.11 लाख का स्वीकार किया परन्तु कोई राशि वसूला नहीं गया है।

बांस एवं बल्ली की लागत ₹ 1.18 लाख का वसूली ना किए जाने का एक उदहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिका में वर्णित है।

7.14 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने 11 वनमंडलाधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचना/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के एक प्रकरण पाया जिससे बांस एवं बल्ली के लागत का वसूली नहीं हुआ है जिसका वर्णन इस अध्याय का अनुवर्ती कंडिका में किया गया है।

7.15 बांस एवं बल्ली के लागत की वसूली ना होना

शासन ने आदेश (जुलाई 2002) दिया था की प्रत्येक जिला में लोक कार्यक्रम में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में उपयोग हुए बांस एवं बल्लियों के लागत को राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।

बस्तर वनमंडलाधिकारी के जून 2009, जून 2010, जून 2011 के भौतिक सत्यापन का नमूना जांच (दिसम्बर 2012) में हमने पाया की 69,428 बांस एवं 15807 बल्ली जिनका मूल्य ₹ 18.16 लाख है शासन के अन्य विभागों, स्थानीय निकाय, एन.एम.डी.सी. इत्यादि द्वारा विभिन्न उद्देश्य जैसे की अतिविशिष्ट व्यक्तियों की लोक कार्यक्रमों, मेंलो, धार्मिक कार्यक्रमों, बाढ़ राहत कार्य इत्यादि के लिए निस्तार⁸ डिपों परपा से

वितरण किया गया था। इनमें से 41,928 बांस एवं 10,084 बल्ली को अतिविशिष्ट व्यक्तियों की लोक कार्यक्रमों के लिए वितरीत किया गया है। वनमंडलाधिकारी ने सूचित किया कि 64,151 बांस एवं 15,026 बल्ली संबंधित विभागों द्वारा लौटाया गया है। इसप्रकार 5,277 बांस एवं 781 बल्ली जिनका मूल्य ₹ 1.18 लाख की कम वसूली हुई थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर शासन ने (अगस्त 2013) कहा की इस संबंध में पत्राचार किया गया है और वनोपजों को न लौटाने की दशा में वनोपज का मुल्य ₹ 1.18 लाख की वसूली संबंधितों से की जावेगी।

⁸

निस्तार का अर्थ है वन क्षेत्र के पाँच की.मी. के भीतर रहने वाले जरूरतमंद ग्रामीणों को बांस, बल्ली और जलाऊबट्टा की आपूर्ति राज्य साहाय्य दर पर उपलब्ध कराना।